आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Delhi Khadi and Village Industries Board

Delhi Khadi Kaushal Vikas Yojna

दिल्ली खादी कौशल विकास योजना दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की कौशल योजना है। यह दिल्ली के कारीगरों, श्रमिकों, स्कूल-कॉलेज छोड़ चुके युवाओं और छोटे उद्यमियों को खादी व ग्रामोद्योग के कामों में प्रशिक्षण, प्रमाणन और बाज़ार सहायता देती है।

क्या मिल सकता है

प्रशिक्षण के दौरान हर प्रतिभागी को भोजन मिलता है और प्रशिक्षण पूरा होने पर मुख्यमंत्री की ओर से प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र दिया जाता है। योजना में ऑनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल साक्षरता, ब्रांड और बाज़ार की जानकारी, ONDC पर उत्पाद दिखाने के लिए ई-कैटलॉग और पूर्व शिक्षण मान्यता (RPL) के तहत सिलाई मशीन टूलकिट भी मिलता है। प्रशिक्षण मर्चेंडाइज़र, स्वरोज़गार दर्जी और पैटर्न मास्टर जैसे कामों से जुड़ा है।

किसके लिए है

दिल्ली के किसी भी वर्ग के निवासी, जो कम से कम पाँच साल से दिल्ली में रह रहे हों और खादी व ग्रामोद्योग के कामों में कौशल प्रशिक्षण या अपने मौजूदा हुनर की मान्यता चाहते हों।

मुख्य शर्तें

- आवेदक कम से कम पाँच साल से दिल्ली में रह रहा हो और उसके पास आधार कार्ड हो।
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। जहाँ जाति, दिव्यांगता या ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र चाहिए, वहाँ स्व-प्रमाणन चलता है।
- उम्मीदवार केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर, कॉमन सर्विस सेंटर में या DKVIB की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएँ, या नए आवेदक के रूप में जुड़ें।
- योग्यता राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अल्पकालिक प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता के नियमों के अनुसार हो, और उम्मीदवार कार्यक्रम में शामिल होने को तैयार हो।

दस्तावेज़

- आधार कार्ड
- जहाँ जाति, दिव्यांगता या ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र ज़रूरी हों, वहाँ स्व-प्रमाणन

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड के हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी अख़बारों के विज्ञापन, पोस्टर और DKVIB की वेबसाइट देखते रहें, क्योंकि पंजीकरण की सूचना इन्हीं से मिलती है।
2. कॉमन सर्विस सेंटर या DKVIB की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएँ। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पहले से पंजीकृत श्रमिक भी लाभार्थियों में गिने जाते हैं।
3. आधार कार्ड तैयार रखें, और जहाँ जाति, दिव्यांगता या ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र ज़रूरी हो वहाँ स्व-प्रमाणन दें।
4. पृष्ठ पर अलग आवेदन लिंक नहीं दिया गया है। बोर्ड इस योजना को इसके लिए बनी परियोजना प्रबंधन इकाई के ज़रिये चलाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://dkvib.delhi.gov.in/sites/default/files/DKVIB/circulars-orders/dkkvygazette.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/delhi/dl-khadi-kaushal-vikas-yojana/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।